



**UPSR040078472025**

**न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती**  
**पीठासीन अधिकारी- (विनीत कुमार यादव) - उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02316**

क्रिमिनल मिस/880/2025

**अरविन्द कुमार वर्मा बनाम. राम गोपाल दत्तक**

दिनांक-06.04.2026

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर आवेदक अरविन्द कुमार वर्मा अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि थाने की आख्या प्राप्त है, किन्तु सुनवायी हेतु अवसर दिये जाने के बाद भी न तो आवेदक उपस्थित आया और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र दिया गया है। विगत तिथि दिनांक 24.03.2026 व 26.03.2026 को आवेदक को सुनवायी हेतु अंतिम अवसर दिया गया था उसके बावजूद भी आवेदक आज न्यायालय उपस्थित नहीं आया है। आवेदक के उक्त आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS पर बल देने का इच्छुक नहीं है। प्रार्थनापत्र को और लम्बित रखने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

### **आदेश**

आवेदक **अरविन्द कुमार वर्मा** की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

(विनीत कुमार यादव)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
श्रावस्ती।